

बिहार सरकार  
उद्योग निदेशालय

संयिका सं०-०३/३०नि०/विधि(CIPET)-०५-०३/२०१६

आदेश

वित्तीय वर्ष 2016-17 में कौशल विकास कार्यक्रम के अंतर्गत सेन्ट्रल इन्स्टीच्यूट ऑफ प्लास्टिक इंजिनियरिंग एण्ड टेक्नोलॉजी, हाजीपुर को बेरोजगार युवको/युवतियों के प्रशिक्षण देने हेतु कुल भुगतान की गयी राशि ₹846.90 लाख (आठ करोड़ छियालीस लाख नब्बे हजार मात्र) में से सिपेट, हाजीपुर द्वारा संलग्न परिशिष्ट के अनुसार व्यय की राशि ₹845.76 लाख (आठ करोड़ पैचालीस लाख छिहत्तर हजार मात्र) की समायोजन करने की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

2. उक्त राशि का समायोजन उद्योग विभाग के वित्तीय वर्ष 2016-17 में राज्यादेश ज्ञापांक 3169 दिनांक 01.09.2016 के कांडिका-09 के आलोक में की जायेगी।

3. सिपेट, हाजीपुर से प्राप्त शेष बची राशि ₹1,14,000.00 (एक लाख चौदह हजार रुपये मात्र) को संबंधित योजना के शीर्ष में राशि प्रत्यार्पित की जायेगी।

4. वित्तीय वर्ष 2016-17 में उक्त राज्यादेश ज्ञापांक 3169 दिनांक 01.09.2016 के आलोक में सिपेट, हाजीपुर से **BTC Form-42A** में प्राप्त उपयोगिता प्रतिवेदन के आधार पर डी०सी० विपत्र महालेखाकार पटना को भेजा जाएगा।

ह०/-

उद्योग निदेशक,  
बिहार,पटना।

ज्ञापांक...../

पटना,दिनांक.....

प्रतिलिपि :- महालेखाकार बिहार, वीरचंद पटेल पथ, पटना को सूचनार्थ प्रेषित।

ह०/-

उद्योग निदेशक  
बिहार,पटना।

ज्ञापांक...../

पटना,दिनांक.....

प्रतिलिपि :- कोषागार पदाधिकारी, सचिवालय कोषागार विकास भवन, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कारवाई हेतु प्रेषित।

ह०/-

उद्योग निदेशक  
बिहार,पटना।

ज्ञापांक...../

पटना,दिनांक.....

प्रतिलिपि :- सहायक उद्योग निदेशक (लेखा) उद्योग निदेशालय, बिहार, पटना को **BTC Form-42A** में प्राप्त उपयोगिता प्रतिवेदन (मूल प्रति) एवं ऑडिटर उपयोगिता प्रतिवेदन (मूल प्रति) आवश्यक कारवाई हेतु प्रेषित। निदेश दिया जाता है कि उक्त प्रतिवेदन के आधार पर डी०सी०विपत्र महालेखाकार बिहार पटना कार्यालय को प्रेषित करना सुनिश्चित की जाय।

अनु०-यथोक्त।

ह०/-

उद्योग निदेशक  
बिहार,पटना।

ज्ञापांक..595.../

पटना,दिनांक..12..18

प्रतिलिपि :- योजना एवं विकास विभाग, बिहार, पटना/आय-व्ययक पदाधिकारी, वित्त विभाग/आय-व्यय पदाधिकारी, उद्योग निदेशालय, बिहार, पटना/प्रशाखा पदाधिकारी, प्रशाखा-01(स०), (बजट), उद्योग विभाग, बिहार, पटना/उप उद्योग निदेशक, (योजना) उद्योग विभाग/सिपेट, हाजीपुर/आई० टी० प्रबंधक, उद्योग विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कारवाई हेतु प्रेषित।

उद्योग निदेशक  
बिहार,पटना।